

2015/00012

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2015

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री हमीरसिंह आत्मज श्री नाहरसिंह,
उम्र वयस्क, जाति राजपुत, निवासी
बरोडा, ग्राम पंचायत सवनिया,
पटवार मण्डल सवनिया, तहसील
घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज)।

बनाम

अप्रार्थी /रैस्पोण्डेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील घाटोल।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, घाटोल।

श्री भगवत पुरी, अधिवक्ता,
-प्रार्थी


श्री हिरालाल जैन, अधिवक्ता,
-प्रत्यर्थागण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 संपठित धारा 26, 28,
29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

दिनांक :- 27-03-2016

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 संपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नंबर 803 रकबा 0.069 हेक्टर, कुल क्षेत्रफल 0.069 हेक्टर (0.423 बीघा), मौजा ग्राम बरोडा में स्थित है, के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा ने अपने आदेश/अवार्ड से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के किमी 181.900 से 196.800 एवं 214.4000 से 224.500 किमी तक सड़क परियोजना में आने वाली भूमि को आवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 विद्वान सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि रूपया 1,09,600/- प्रति बीघा की दर से कुल मुआवजा राशि रूपया 46,360/- स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार प्रतिकर राशि की दर निर्धारण में बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर ट्युबवेल खोद रखा था व मकान मय बाउण्ड्रीवाल बनाया था। जिनकी मुआवजा राशि प्रश्नगत अवार्ड में नहीं दी


भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

गयी है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर किमती व फलदार वृक्ष थे। जिसका प्रतिकर रूपया 10,498/- स्वीकृत किया गया है जो अत्यधिक न्यून है। उक्त अवार्ड में प्रार्थी को दी गयी प्रतिकर राशि को प्रार्थी स्वीकार नहीं करता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण व मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम पंचायत सबनिया में स्थित है। जिसकी कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर रूपया 4,00,000/- प्रति बीघा है, जैसा कि, प्रश्नगत उक्त कृषि भूमि से लगी अन्य कृषि भूमि के अवार्ड में निर्धारित की है। प्रार्थी की कृषि भूमि व ग्राम सबनिया की कृषि भूमि की लोकेशन व प्रोटेन्सी समतुल्य है। वर्तमान मुख्य मार्ग से दुरी भी बराबर है। ऐसे में एक ही प्रकार की कृषि भूमि के अलग-अलग दर निर्धारित नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) (7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का ट्युबवेल, पक्का मकान, किमती लकड़ी के पेड व फलदार वृक्ष भी मौजूद है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अवार्ड में अंकित नहीं किया है। प्रार्थी की प्रश्नगत अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर मौजूद ट्युबवेल की किमत रूपया 2,00,000/- है। भूमि पर स्थित मकान की किमत रूपया 1,00,000/- है तथा भूमि पर स्थित किमती लकड़ी के पेड व फलदार वृक्षों की किमत रूपया 1,00,000/- है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर स्थित फलों के पेडों से प्रार्थी को प्रतिवर्ष रूपया 50,000/- की आय भी होती है। वर्तमान में प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि की बाजार दर रूपया 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपया प्रति बीघा है। प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि रकबा 0.423 बीघा की किमत रूपया 4,23,000/- अक्षरे चार लाख तेइस हजार रूपया होती है तथा कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति का मूल्य रूपया 4,50,000/- अक्षरे चार लाख पचास हजार रूपया होती है। कुल राशि रूपया 8,73,000/- अक्षरे आठ लाख तिहत्तर हजार रूपया, जिस पर 100 प्रतिशत आवश्यक अवाप्ति की राशि सोलेशियम रूपया 8,73,000/- अक्षरे आठ लाख तिहत्तर हजार रूपया, कुल राशि रूपया 17,46,000/- अक्षरे सत्रह लाख छियालिस हजार रूपया एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी, प्रत्यर्थीगण से प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। तदनुसार अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 10-07-2015 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अप्रार्थी नं० 3 द्वारा नियमानुसार जांच कराने के उपरान्त एवं तहसीलदार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसकी विधिवत जांच रिपोर्ट उनके कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश करने पर कानून के प्रावधानानुसार ही उक्त प्रकरण में अवाप्ति की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मौके पर विद्यमान स्थिति के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा एवार्ड जारी किया गया है।

श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः

प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), घाटोल से प्रकरण में मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। उपखण्ड अधिकारी, घाटोल के पत्रांक 1693 दिनांक 27-08-2015 से प्रस्तुत जवाब के अनुसार मौजा बरोड़ा के लिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर 109600/- प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, जो सही है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मौजा बरोड़ा एवं सवनिया के लिए अलग-अलग दर निर्धारित है एवं बरोड़ा के लिये निर्धारित दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही है। भूमि अवाप्ति अधिकारी की हैसियत से जो अवाई जारी किया गया है, वह नियमानुसार ही जारी किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि व उस पर स्थित अवसंरचनाओं के मूल्य का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। मुआवजा राशि अवाई दर का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्धारित बाजार दर के अनुसार ही किया जाता है, न कि स्थानीय बाजार में विक्रय दर से किया जाता है। अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान समय-समय पर प्रार्थी को सूचित किया जाता रहा है। प्रकरण ड्रॉप किए जाने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति के प्रकरणों की मौका स्थिति के अनुसार प्रस्तावित मुआवजा राशि की पुनः रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उपखण्ड अधिकारी, घाटोल द्वारा बिन्दुवार प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौजा बरोड़ा पटवार मण्डल सवनिया के ख.नं. 803 रकबा 0.07 किस्म नहरी प्रथम भूमि श्री हमीर सिंह पिता नाहर सिंह राजपुत की खातेदारी कृषि भूमि है, जो वर्तमान में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा घाटोल के नाम रहन दर्ज है। ख.नं. 803 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.069 हैक्टर अर्थात् 0.423 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है, जो वर्तमान में प्रार्थी के खाते में दर्ज है। अवाप्ति के समय कृषि भूमि बाजार दर डीएलसी अनुसार 109600/- रु० प्रति बीघा थी। अवाप्ति की गई कृषि भूमि मुख्य आबादी ग्राम बरोड़ा से 500 से 600 मीटर दुरी पर स्थित है। अवाप्त की गई कृषि भूमि मुख्य सड़क N.H.113 से सटी हुई है। अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान 109600/- प्रतिबीघा की दर से किया गया है। अवाप्त की गई कृषि भूमि के समीप अन्य अवाप्त भूमि जिसका खसरा नं. 914/800 रकबा 0.020 हैक्टर अर्थात् 0.121 बिस्वा भूमि का भुगतान प्रतिबीघा 109600/- रु. की दर से श्री देवा पिता मोगजी जोगी को किया गया है। अवाप्ति की गई कृषि भूमि ग्राम बरोड़ा, प.म. सवनिया के अन्तर्गत स्थित है।

प्रकरण में निम्न विवादक विरचित किये गये :-

01. आया अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विधि के प्रावधानों की पालना नहीं की तथा प्रार्थी की भूमि का बाजार मूल्य, अवाप्ति से पूर्व क्षतियों को ध्यान में नहीं रखा ?

-प्रार्थी

02. आया प्रार्थी की भूमि पर ट्यूबवेल मकान मय बाउण्ड्रीवाल व फलदार वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन प्रश्नगत अवाई पारित करते समय वर्तमान बाजार मूल्य व अन्य क्षतियों

का मूल्यांकन नहीं कर अस्पष्ट, अविधिपूर्ण व मनमाने तरिके से अवार्ड संख्या 699 दिनांक 01-05-2014 पारित किया है ?

—प्रार्थी

03. आया प्रार्थी की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य रूपया 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपया प्रतिबीघा है, इस प्रकार 0.423 है0 भूमि की कीमत 423000/- व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य रूपया 450000/- कुल राशि रूपया 873000/- होती है, एवं उस पर 100 प्रतिशत आवश्यक अवाप्ति की राशि सोलेशियम रूपया 873000/- कुल राशि 1746000/- एवं उस पर अधिसूचना तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—प्रार्थी

04. आया प्रार्थी की कृषि भूमि व ग्राम सवनिया की कृषि भूमि की लोकेशन व प्रोटेन्सी समतुल्य है एवं डी.एल.सी. दरों में भिन्नता है ? —प्रार्थी
05. आया उक्त प्रकरण में अवार्ड दिनांक 01-05-2014 को जारी किया गया है और प्रश्नगत प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो अन्दर म्याद नहीं होने से काबिल निरस्ती है ?

—अप्रार्थी

06. अनुतोष।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र, अवार्ड भूमि की जमाबन्दी, प्रश्नगत अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, समतुल्य कृषि भूमि की दस्तावेज विक्रय पत्र कृषि भूमि दिनांक 16.10.2014 की प्रति, पब्लिक नोटिस, अवार्ड की सत्य प्रति, सूचना दिनांक 07.08.2014, प्रार्थी की जमीन की अवार्ड की सत्य प्रति, नक्षा नजरी, प्रमाण पत्र पटवारी पटवार क्षेत्र सवनिया, ग्राम पंचायत सवनिया के बरोड़ा व हावड़ी राजस्व गांव की डी.एल.सी. दर की सूची इत्यादि अभिलेख प्रस्तुत किए गए।

इस मामले की कार्यवाही के दौरान श्रवणाधिकार के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित हुआ। मध्यस्थ के रूप में इस मामले में सुनवाई के श्रवणाधिकार सम्बन्धी भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक RW/NH-12013/19/2/2010/SP(D/1)/P-9-EAP(Pt) Dated 04.07.2016 मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात इस मामले में विचारण प्रारम्भ किया गया।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों की बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त परिशिलन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क है कि, अधिगृहित की गई प्रश्नगत कृषि भूमि ग्राम पंचायत सवनिया, पटवार हल्का सवनिया के बरोड़ा गांव में स्थित है। ग्राम सवनिया की डी.एल.सी. दर रूपया 26,25,000/- अक्षरे छब्बीस लाख पच्चीस हजार रूपया प्रति हेक्टर है। जबकि ग्राम बरोड़ा व हावड़ी का दिनांक 16-10-2014 का विक्रय विलेख निष्पादन हुआ है, जिसमें 4,15,000/- अक्षरे चार लाख पन्द्रह हजार रूपया प्रति बीघा की दर से मूल्यांकन किया गया है। जो अवार्ड के समय का ही विक्रय विलेख है। प्रार्थी का यह भी तर्क है कि, ग्राम हावड़ी, बरोड़ा और ग्राम सवनिया की डी.


सूचना प्रमाणित
दिनांक

एल.सी. दर एक ही है। लेकिन सक्षम अधिकारी ने ग्राम सवनिया के आराजीयान को रूपया 4,00,000/- अक्षरे चार लाख रूपया की दर से अवार्ड पारित किया है। जबकि प्रश्नगत आराजीयान राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 मीटर की परिधि में स्थित है। जो सवनिया के आराजीयान से जुड़े हुए है। इस प्रकार एक ही लोकेशन व प्रोटेन्सी की भूमि में अलग अलग दर से राशियों का निर्धारण अविधिपूर्ण तरिके से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि, पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पंचायत सवनिया में मध्य बिन्दु से 200 मीटर की परिधि के अन्दर प्रति हेक्टर रूपया 26,25,000/- है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये :-

1. Om Prakash & Ors. Versus State of Haryana
2016 DNJ (SC) 357
2. N.D. Sharma & Ors. Versus Union of India & Ors.
2016 DNJ (SC) 314

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थागण का तर्क है कि, अवार्ड राशि का निर्धारण करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

विवादकों पर क्रमवार हमारा निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

01. आया आवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विधि के प्रावधानों की पालना नहीं की तथा प्रार्थी के भूमि का बाजार मूल्य, आवाप्ति से पूर्व क्षतियों को ध्यान में नहीं रखा ?

आवाप्ति के समय कृषि भूमि बाजार दर डीएलसी अनुसार 109600/- रू0 प्रति बीघा थी। आवाप्ति की गई कृषि भूमि मुख्य आबादी ग्राम बरोड़ा से 500 से 600 मीटर दुरी पर स्थित है। आवाप्त की गई कृषि भूमि मुख्य सड़क N.H.113 से सटी हुई है। आवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान 109600/- प्रतिबीघा की दर से किया गया है। आवाप्त की गई कृषि भूमि के समीप अन्य आवाप्त भूमि जिसका खसरा नं. 914/800 रकबा 0.020 हैक्टर अर्थात् 0.121 बिस्वा भूमि का भुगतान प्रतिबीघा 109600/- रू. की दर से श्री देवा पिता मोगजी जोगी को किया गया है। आवाप्ति की गई कृषि भूमि ग्राम बरोड़ा, प.म. सवनिया के अन्तर्गत स्थित है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर 109600/- प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, जो सही है। इस प्रकार यह विवादक प्रार्थी के विरुद्ध एवं प्रत्यर्थागण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

02. आया प्रार्थी की भूमि पर टयूबवेल मकान मय बाउण्ड्रीवाल व फलदार वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन प्रश्नगत अवार्ड पारित करते समय वर्तमान बाजार मूल्य व अन्य क्षतियों का मूल्यांकन नहीं कर अस्पष्ट, अविधिपूर्ण व मनमाने तरिके से अवार्ड पारित किया है ?

दौराने विचारण हमारे द्वारा पटवार मण्डल सवनिया का प्रतिवेदन मौके की स्थिति के सम्बन्ध में आहुत किया गया है। जिसके चरण संख्या तीन में यह स्पष्ट अंकित है कि, उक्त आवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी ने पक्का मकान मय बाउण्ड्रीवाल, टयूबवेल, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का होना बताया परन्तु जांच के समय मौके पर न मकान

Handwritten signature and official stamp of the District Magistrate, Sonbhadra.

है न बाउण्ड्रीवाल है न ट्युबवेल है न ही कोई पेड है। यह प्रतिवेदन निश्चित तौर पर रोड के निर्माण के पश्चात किया गया है। इसलिए मौके पर उक्त सम्पत्तियां पाया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन प्रश्नगत अवार्ड में विभिन्न मदों पर विद्वान सक्षम अधिकारी ने मूल्यांकन कर अवार्ड राशि जारी की है। जिसमें प्रश्नगत भूमि पर स्थित ट्युबवेल, मकान व पेड की गणना की गई है। जो उचित प्रतीत होती है। इसके विपरीत प्रार्थी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि, उक्त सम्पत्तियों की किमत की गणना में कोई त्रुटि हुई हो। इस प्रकार हमारे अभिमत में विद्वान सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णय में भूमि पर स्थित सम्पत्ति यथा मकान, ट्युबवेल व पेड के अवार्ड राशि नियमानुसार है व इस मद में प्रार्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से यह विवाद्यक प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

03. आया प्रार्थी की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य रूपया 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपया प्रतिबीघा है, इस प्रकार 0.423 है 0 भूमि की कीमत 423000/- व उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य रूपया 450000/- कुल राशि रूपया 873000/- होती है एवं उस पर 100 प्रतिशत आवश्यक अवाप्ति की राशि सोलेशियम रूपया 873000/- कुल राशि 1746000/- एवं उस पर अधिसूचना तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

-प्रार्थी

04. आया प्रार्थी की कृषि भूमि व ग्राम सवनिया की कृषि भूमि की लोकेशन व प्रोटेन्सी समतुल्य है एवं डी.एल.सी. दरों में भिन्नता है ?

-प्रार्थी

उक्त दोनों विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रार्थी पर है और दोनों विवाद्यक एक दूसरे के पूरक होने से एक साथ निर्णित किया जाना हमारे अभिमत में उचित होगा। प्रार्थी ने अपने मध्यस्थता प्रार्थना पत्र में रूपया 10,00,000/- प्रति बीघा की दर से अवाप्तशुदा भूमि रकबा 0.423 है। भूमि किमत रूपया 423000/- एवं उस पर स्थित सम्पत्ति यथा मौजूद परिसम्पत्ति रूपये 450000/- कुल राशि 873000/- मांग की है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर 109600/- प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, जो सही है। जैसा कि पत्रावली उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य से प्रार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अवाप्तशुदा कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य रूपया 10,00,000/- प्रति बीघा हो।

अवाप्त की गई कृषि भूमि के समीप अन्य अवाप्त भूमि जिसका खसरा नं. 914/800 रकबा 0.020 हैक्टर अर्थात् 0.121 बिस्वा भूमि का भुगतान प्रतिबीघा 109600/- रु. की दर से श्री देवा पिता मोगजी जोगी को किया गया है। अवाप्ति की गई कृषि भूमि ग्राम बरोड़ा, प.म. सवनिया के अन्तर्गत स्थित है। इस प्रकार यह विवाद्यक प्रार्थी के विरुद्ध एवं प्रत्यर्थागण के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त विवाद्यक संख्या 1 व 2 में स्पष्ट रूप से निर्णित किया जा चुका है, तदनुसार यह विवाद्यक प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

05. आया उक्त प्रकरण में अवार्ड दिनांक 01-05-2014 को जारी किया गया है और प्रश्नगत प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो अन्दर म्याद नहीं होने से काबिल निरस्ती है ?


इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रत्यर्थागण का है। The National Highways Act 1956 में परिसीमा काल आर्बिट्रेशन की कार्यवाहियों के लिए निर्धारित नहीं है। जिस विधि में प्रार्थना पत्र संस्थित करने की म्याद निर्धारित नहीं हो, ऐसे मामलों में भारतीय परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है। इस प्रकार इस मामले में परिसीमा अवधी तीन साल होती है। इस कारण यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र परिसीमन में है। इस प्रकार यह विवाद्यक प्रत्यर्थागण के विरुद्ध एवं प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

06. अनुतोष ?

मौजा बरोड़ा के लिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित डीएलसी दर 109600/- प्रतिबीघा की दर से मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, जो सही है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा मौजा बरोड़ा एवं सवनिया के लिए अलग-अलग दर निर्धारित है एवं बरोड़ा के लिये निर्धारित दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही है। भूमि अवाप्ति अधिकारी की हैसियत से जो अवार्ड जारी किया गया है, वह नियमानुसार ही जारी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अधिनिर्णय प्रार्थी के विरुद्ध एवं अप्रार्थीगणों के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), घाटोल द्वारा नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया है, इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27-03-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर
बासवाड़ा